

धर्मांतरण वरोधी वधियक

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने गैरकानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतषिध वधियक, 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन के माध्यम द्वारा धर्मांतरण को रोकना है।

- वधियक में वभिनिन अपराधों के लिये 10 वर्ष तक के कारावास और 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

मुख्य बडि

- अनुमोदन और उद्देश्य:
 - नवंबर 2024 में, राज्य मंत्रिमंडल ने वधियक के मसौदे को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य के कुछ क्षेत्रों में "लव जहिाद की बढती घटनाओं" को रोकना था।
 - 'लव जहिाद' शब्द का तात्पर्य मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं से वविाह कर उन्हें इस्लाम में परविरतति करने से है।
- वधियक के प्रावधान:
 - राज्य के चकितिसा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने वधियक पेश किया, जो अपराधों को संज्ञेय, गैर-जमानती और अदालत में सुनवाई योग्य बनाता है।
 - वधियक गलत बयानी, बल, दबाव, प्रलोभन, धोखाधड़ी या वविाह के माध्यम से धर्मांतरण को अपराध मानता है।
 - धर्म परविरतन के इच्छुक व्यक्तियों को कम से कम 60 दिन पहले ज़िला मजसि्ट्रेट को घोषणा-पत्र देना होगा।
- वधियक के पीछे तरक:
 - वधियक के अनुसार, जहाँ अन्य राज्यों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर कानून है, वही राजस्थान में ऐसा कोई कानून नहीं है।
 - वधियक का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता के व्यक्तगित अधिकार को धर्मांतरण को रोकने की आवश्यकता के साथ संतुलति करना है, जो धर्मनरिपेक्षता को दुर्बल कर सकता है।

धार्मिक रूपांतरण

- धार्मिक रूपांतरण एक वशिष धार्मिक संप्रदाय से संबंधी मान्यताओं को अपनाना है, जिसमें अन्य को शामिल नहीं किया जाता।
- इस प्रकार "धार्मिक रूपांतरण" से तात्पर्य एक संप्रदाय के प्रतनिषिठा को त्यागकर दूसरे संप्रदाय से सम्बद्ध होना होगा।
 - उदाहरण के लिये, ईसाई बैप्टिस्ट से मेथोडिस्ट या कैथोलिक, मुस्लिम शिया से सुन्नी।
- कुछ मामलों में, धार्मिक रूपांतरण "धार्मिक पहचान में परविरतन का प्रतीक है और वशिष अनुष्ठानों द्वारा इसका प्रतीक है"।